डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)

इजलास जगदीश आर्य आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 138/2019

जुम्मे खां पुत्र फत्ती जाति मेव निवासी ग्राम भादाका तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. रूजदार पुत्र जोरे खां
2. हनीफ पुत्र चन्दर खां
3. आसीन पुत्र नाजर जाति मेव निवासी ग्राम भादाका तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ जगदीश आर्य आर0ए0एस0 .....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रति0 X मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 79/0.63 बांके ग्राम भादाका तहसील पहाडी पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें। आज ..... X ..... मुबलिग ..... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... X ..... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ..... X .....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12. 12 सन् 2019 को जारी की गई ।

दस्तखत .....

ओहदा .....

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	
स्टाम्प वजह सबूत	1.00	
महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक		
मीजान	4.00	

मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक ...		
मीजान		

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा नं0 138 / 2019

जुम्मे खां पुत्र फत्ती जाति मेव निवासी ग्राम भादाका तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. रूजदार पुत्र जोरे खां
2. हनीफ पुत्र चन्दर खां
3. आसीन पुत्र नाजर जाति मेव निवासी ग्राम भादाका तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री मौहम्मद खां वकील वादी

दिनांक :– 12.12.2019

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 79 / 0.63 बांके ग्राम भादाका तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण उक्त आराजी में बिना किसी मतलब के मजाहमत व मदाखलत करते है और कब्जे काश्त वादी में लठ्ठ के बल नाजायज कब्जा करना चाहते है। जिसकी ऐलानिया धमकी दिनांक 29.10.2019 को ग्राम भादाका में दी है कि हम उक्त आराजी को जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करके रहेगे। प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय में

Scanned by CamScanner

उपस्थित नहीं आये उसके विरूद्ध दिनांक 06.11.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी मुत0 वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबन्ध किसी प्रकार का नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण लठ्ठ व ताकत के बल पर वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत करना चाहता है। प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे एवं कब्जा नाजायज न करें व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

वकील वादी की बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया विवादित आराजी खसरा नं0 79/0.63 बांके ग्राम भादाका तहसील पहाडी वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 79/0.63 बांके ग्राम भादाका तहसील पहाडी पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें। तद्नुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned by CamScanner